

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

08/01/25

प्राचीन) उपर।
 पत्रावली पेश हुई। वकील (प्राचीन) प्रारंभ की प्रति
 हाल जमावदी के अनुसार प्रारंभ की प्रति
 वादी/वादी वकील से खातेदार नहीं है। ना
 प्रतिवादी/वादी एवं उपर और नाही प्रारंभ
 प्रतिवादी/वादी उपर। अतः प्रतिवादी/वादी के
 विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (अडम हाजिरी,
 अडम पैरवी) में जाती है। वादी/वादी वकील
 वादी के फौज होने से उनके वकील/वादी
 में और से सुशील कुमार व शकुलवादी
 ने 022 R 3 CPC का प्रांभ पत्र पारित वकील
 पेश किया था जो अभी प्रारंभ के एतर
 पर मौजूद चल रहा है लेकिन इसी मामले का
 title/खातेदार change होने से प्राचीन-
 सुशील व शकुलवादी - खातेदार नहीं है। जो वकील
 रिपोर्ट में खातेदारान है, वे न्यायालय में प्रारंभ
 नहीं है। अतः प्रारंभ को अडम हाजिरी,
 अडम पैरवी में dismiss किया जाता है।
 पत्रावली, गुणावली पर टिप्पणी किमे बिना,
 फैलाल सुभाष होकर नम्बर के काम के
 वास तमील वकीलय डाकिल दफतर है



[Handwritten Signature]
 08/01/25

उपखण्ड [Redacted]
 पिठुवा, जिला [Redacted]

